भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1907
12.02.2021 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

1907. श्री एम. सेल्वराज :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में इसके आसपास के विभिन्न भवन जैसे-श्रम शक्ति भवन और परिवहन भवन भी शामिल होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी परियोजना के लिए जारी विचारार्थ विषय (टीओआर) के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार की जाती है। मंत्रालय ने मैसर्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय विस्टा, नई दिल्ली में साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों, केंद्रीय सम्मेलन केंद्र के साथ-साथ प्लॉट संख्या 137, 120, 22ए, 22बी, 22सी, 23डी, 23सी, 23बी, 138, ए और बी हटमेंट, प्लॉट 30बी और 108 के हिस्से पर अन्य भवनों के विकास/पुनर्विकास के लिए ईआईए रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने हेतु विचारार्थ विषय (टीओआर) जारी किए हैं।

परियोजना के लिए जारी किए गए टीओआर में, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा केंद्रीय विस्टा एवेन्यू के भीतर विकास कार्यकलापों के समेकित प्रभाव का आकलन करना और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना शामिल है।

(ग) और (घ) परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन में, प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. रेडियस क्षेत्र में प्रदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करने और उनका आकलन करने की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (परियोजना प्रस्तावक) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार, ऊपर उल्लिखित परियोजना में श्रम शक्ति भवन और परिवहन भवन जैसी इमारतों को शामिल नहीं किया गया है।

*****